

**बिहार सरकार**  
**सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग**

का0आ0सं0-स्था0(मु0)05-08 / 2023.....173..... सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक-21/05/26

**कार्यालय आदेश**

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300 दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत बिहार सूचना लिपिकीय संवर्ग के निम्नांकित कर्मियों को पदानुक्रम में विहित वेतनमान सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:-

| क्र० | कर्मचारी का नाम      | पद/वेतनस्तर                        | अनुमान्य पद/वेतनस्तर              |
|------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | 2                    | 3                                  | 4                                 |
| 1    | श्री घनश्याम कुमार   | प्रधान सूचना लिपिक/वेतनस्तर-6      | कार्यालय अधीक्षक/वेतनस्तर-7       |
| 2    | श्री प्रमोद कुमार    | प्रधान सूचना लिपिक/वेतनस्तर-6      | कार्यालय अधीक्षक/वेतनस्तर-7       |
| 3    | श्री शत्रुघ्न प्रसाद | उच्चवर्गीय सूचना लिपिक/वेतनस्तर-4  | प्रधान सूचना लिपिक/वेतनस्तर-6     |
| 4    | श्री नीरज कुमार झा   | उच्चवर्गीय सूचना लिपिक/वेतनस्तर-4  | प्रधान सूचना लिपिक/वेतनस्तर-6     |
| 5    | श्री अशोक कुमार झा   | निम्नवर्गीय सूचना लिपिक/वेतनस्तर-2 | उच्चवर्गीय सूचना लिपिक/वेतनस्तर-4 |
| 6    | श्री रघुवंशमणि       | निम्नवर्गीय सूचना लिपिक/वेतनस्तर-2 | उच्चवर्गीय सूचना लिपिक/वेतनस्तर-4 |

- यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।
- उपर्युक्त कर्मियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत (क) प्रधान सूचना लिपिक से कार्यालय अधीक्षक (वेतन स्तर-7), (ख) उच्चवर्गीय सूचना लिपिक से प्रधान सूचना लिपिक (वेतन स्तर-6) एवं (ग) निम्नवर्गीय सूचना लिपिक से उच्चवर्गीय सूचना लिपिक (वेतन स्तर-4) में उत्क्रमित करते हुए कार्यकारी प्रभार दिया जाता है।
- उपर्युक्त कर्मियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
- अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करनेवाले कर्मियों के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करनेवाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाए जाने पर संबंधित कर्मियों को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(कामेश्वर मिश्रा)

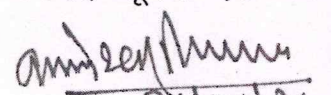
संयुक्त सचिव,

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 848 सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक-21/05/26

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त निदेशक, लेखा-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उप सचिव, लेखा/आई०टी० मैनेजर, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(कामेश्वर मिश्रा)

संयुक्त सचिव,